

सार्वजनिक सूचना

बीएसबीडी एवं केसीसी खातों के लिए एटीएम/एडीडब्ल्यूएम से हुए असफल लेनदेन संबंधी प्रभार 1 मई 2025 से माफ

बैंक ने बीएसबीडी एवं केसीसी खातों के लिए नकद निकासी तथा गैर-नकद लेनदेन के मामले में अपर्याप्त खाता शेष/निधि के कारण एटीएम/एडीडब्ल्यूएम से हुए असफल लेनदेन संबंधी प्रभार को माफ करने का निर्णय लिया है। संशोधित शुल्क 1 मई 2025 से निम्नानुसार प्रभावी होंगे :-

एटीएम/एडीडब्ल्यूएम पर असफल लेनदेन प्रभार : बीएसबीडी एवं केसीसी खाता				
सेवा संबंधी विवरण	वर्तमान प्रभार		प्रस्तावित प्रभार	
	हमारे बैंक के एटीएम	अन्य बैंकों के एटीएम	हमारे बैंक के एटीएम	अन्य बैंकों के एटीएम
खाते में अपर्याप्त शेष राशि के कारण अस्वीकृत लेनदेन।#	₹20/- + जीएसटी		शून्य प्रभार (₹ 20/- की कमी)	
# असफल लेनदेन के लिए कोई प्रभार नहीं लगाया जाएगा।				